

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119–2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 20-HLA of 2020/63/11501.— The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 20-HLA of 2020

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2020

Α

BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2020.

Short title.

Amendment of

Haryana Act 6 of

section 5 of

1986.

- 2. In sub–section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986,–
 - (i) in the fifth proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) after the fifth proviso, the following proviso shall be added at the end, namely:—

"Provided further that the rate of fee on vegetables and fruits only, as mentioned in Schedule under clause (b) of rule 2 of the Haryana Rural Development Rules, 1987, shall be one per centum.".

3. (1) The Haryana Rural Development (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 8 of 2020), is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

(1695)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to give a push to the economy, which has slumped due to lockdown amid Covid-19, it is proposed to impose the Rural Development Fee on ad-valorem basis, at the rate of one percent of the sale-proceeds of fruits and vegetables bought or sold or brought for processing in the notified market area.

Hence this Bill.

	DUSHYANT CHAUTALA, Deputy Chief Minister, Haryana.
Chandigarh: The 24th August, 2020.	R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 20 एच.एल.ए.

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है ।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की

(i) पाँचवें परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

आधानयम् ६ धारा ५ का संशोधन्।

(ii) पाँचवें परन्तु क के बाद, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
''परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खंड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित केवल सिब्जियों तथा फलों पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी ।''।

3. (1) हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश नि संख्या 8), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जो कोविड—19 के बीच लॉकडाउन के कारण गिर गई है, को गति देने के लिए अधिसूचित मार्किट क्षेत्र में खरीदने या बेचने या प्रसंस्करण के लिए लाई गई सब्जियों व फलों के बिक्री मुल्य पर 1 प्रतिशत की दर से मुल्यानुरूप के आधार पर ग्रामीण विकास शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 24 अगस्त, 2020. आर० के० नांदल, सचिव।

8876—H.V.S.—H.G.P. Pkl.